सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन, 22, बुधवार, शाके 1948- अक्टूबर 14, 2026 Asvina 22, Wednesday, Saka 1948- October 14, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 29, 2026

संख्या प.4(17)उद्योग/1/2026 :-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रिय अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु अधिसूचना एतद्द्वारा जारी की जाती है:-

1. **परियोजना विकसित करने वाले का नाम:-** राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियलडवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको)
2. **प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य:-**औद्योगिक क्षेत्र देवनगर (फागी)हेतु आवंटित भूमि तक समुचित चौडाई के पहुंच मार्ग का निर्माण किए जाने हेतु
3. **भूमि का विवरण:-**

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	स्वामित्व
1.	जयपुर	फागी	लदाना	1.6107हैक्टेयर	संलग्न सूची अनुसार

4. **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य:-**
   i. प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार उचित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
   ii. प्रस्तावित अधिग्रहण के सम्पूर्ण क्षेत्र का विस्तृत दौरा कर प्रभावित होने वाले परिवारों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से वार्ता करना, उनके विचार लेखबद्ध करना तथा पूर्ण

प्रचार-प्रसार के पश्चात् जनसुनवाई करना। जनसुनवाई के दौरान व्यक्त सभी विचार-विमर्श को लेखबद्ध करना।

iii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले परिवारों के जीविकोपार्जन पर होने वाले प्रभाव एवं उचित मुआवजे का आंकलन करना।

iv. प्रभावित होने वाले परिवारों पर सम्भावित आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना तथा उनके पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन करने हेतु प्रबन्धन योजना प्रस्तुत करना।

v. प्रस्तावित अधिग्रहण लोक प्रयोजनार्थ है, यह सुनिश्चित करना।

vi. प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या का सही आंकलन करना तथा उनके जीविकोपार्जन के वर्तमान साधनों का ज्ञात करना।

vii. प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में अवस्थित समस्त सार्वजनिक जनसम्पत्तियों यथा सडक मार्ग, सार्वजनिक व निजी मकान, विद्यालय, कार्यालय, स्वास्थ्य इकाइयों, आंगनबाडी केन्द्र, पेयजल स्रोत, उद्यान, श्मशान, प्रार्थना के स्थान यथा मन्दिर, मस्जिद इत्यादि को ज्ञात करना तथा उनके विस्थापन के प्रभाव का आंकलन करना।

viii. इस बात का समुचित निर्धारण करना कि प्रस्तावित क्षेत्र से कम क्षेत्र का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तथा प्रस्तावित स्थान ही प्रस्तावित परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्थान अधिग्रहण हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही पूर्व में अधिग्रहित कोई अन्य भूमि आसपास अनुपयोगी स्थिति में उपलब्ध नहीं है।

ix. इस बात को सुनिश्चित करना कि परियोजना में सामाजिक समाघातों को हल करने हेतु होने वाले व्यय एवं परियोजना पर होने वाले व्यय, दोनों समग्र व्यय से परियोजना से अपेक्षित लाभ अधिक है।

x. ग्राम सभा, भू-स्वामियों की सहमति की आवश्यकता है अथवा नहीं? - नहीं

xi. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक अधिसूचना जारी होने की दिनांक से होगी।

xii. उक्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कार्य अधिसूचना जारी होने के 180 दिवस की अवधि के भीतर पूर्ण किया जावेगा।

xiii. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों की अक्षरश: पालना की जावेगी।

5. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन प्रतिवेदन (Social Impact Assessment Study Report) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (Social Impact Management Plan) तैयार कर हिन्दी भाषा में संबंधित ग्राम पंचायतों, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी तथा तहसील कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। साथ ही अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के निकट सुविधाजनक स्थानों पर इस अधिसूचना को जनसाधारण की जानकारी हेतु चस्पानगी

करानी होगी। संबंधित जिला कलक्टर कार्यालय की सरकारी वेबसाइट, विभागों एवं एजेन्सियों की वेबसाइट पर अपलोड की जानी होगी तथा दो स्थानीय दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों (राज्य स्तरीय) में प्रकाशित किया जाना होगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु एजेन्सी का विवरण:-

सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS),- 0141-2294988/
133, देवी नगर, नन्नू मार्ग, 9950124028/9414077287
सोडाला, जयपुर-302019

7. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको को उक्त भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम, 2013 की धारा 3(g) के अनुसार कलेक्टर के कृत्यों को पालन करने के लिए पदाभित किया जाता है।

अपेक्षक निकाय की ओर से अधिकृत अधिकारी का विवरण:-

श्री राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ क्षेत्रीयप्रबन्धक, - 9414041834
इकाई प्रभारी, जयपुर (दक्षिण), रीको

संलग्न:- सूची।

राज्यपाल की आज्ञा से,

महिपाल कुमार,
शासन उप सचिव।

औद्योगिक क्षेत्र देवनगर, तहसील फागी हेतु आवंटित भूमि तक समुचित चौडाई का पहुंच मार्ग के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का खसरावार विवरण

ग्राम लदाना, तहसील फागी, जिला जयपुर

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
1.	11	2962	0.1265	गै.मु.	0.0075	1. कमाल पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार 2. नदीम खांन पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा
2.		2964	0.3161	ढेकली-1	0.0770	
3.		3073	0.0885	ढेकली-1	0.0885	
4.		3074	0.0506	गै.मु. ढेकली	0.01	
5.		3075	0.1517	ढेकली-1	0.094	

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
						तह.साँगानेर खातेदार 3. मो.रफीक पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार 4. मोसीम खांन पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार 5. लतीफ पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार 6. सलीम पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार 7. हफीज पुत्र इस्लामखाँ हिस्सा- 1/7 जाति- मुसलमान चकहरबंशपुरा तह.साँगानेर खातेदार,
6.	275	3278	0.7966	चाही-2	0.2650	1. भुरा पुत्र बद्री हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फागी 2. शैतान पुत्र बद्री हिस्सा- 1/2 जाति- मीणा सा.देह

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
						खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा फागी,
7.	281	3276	0.4679	चाही-2	0.14	भूलीदेवी पत्नि शैतानलाल हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा सा.देह खातेदार,
8.		3277	0.1012	बंजड डोल	0.1012	
9.	394	3287	0.0759	चाही-3	0.0190	1. नवरत्न पुत्र रामरतन हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार 2. राधेश्याम पुत्र रामरतन हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी.जयपुर सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. शाखा Phagi 3. शंकर पुत्र रामरतन हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी.जयपुर सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक लि. शाखा Phagi 4. सीताराम पुत्र रामरतन हिस्सा- 1/4 जाति- मीणा सा.देह खातेदार,
10.	214	3256	0.7461	बारानी-	0.1150	1. प्रेमदेवी पत्नि

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
				3		गिरधारीलाल हिस्सा- 1/2 जाति- बेरवा सा.किशोरपुरा तह. सांगानेर खातेदार 2. शान्तीदेवी पत्नि मांगीलाल हिस्सा- 1/2 जाति- बेरवा सा.किशोरपुरा तह. सांगानेर खातेदार,
11.	88	3255	0.4805	चाही-2	0.17	1. ईश्वरदास पुत्र लादूदास हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा फागी 2. गोपाललाल पुत्र भंवरदास हिस्सा- 1/16 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार 3. छोटीदेवी पत्नि छीतरदास हिस्सा- 1/8 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा MALPURA 4. नन्दलाल पुत्र भंवरदास हिस्सा- 1/16 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा PHAGI
12.		3254	0.5184	चाही-2	0.1270	
13.		3253	0.0885	गै.मु. चाह	0.0130	

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
						5. नाथीदेवी पुत्री भंवरदास हिस्सा- 1/16 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/16 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा PHAGI 6. रामनारायण पुत्र लादूदास हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा फागी 7. रामराज पुत्र छीतरदास हिस्सा- 1/8 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा MALPURA 8. विमला पुत्री भंवरदास हिस्सा- 1/16 जाति- स्वामी सा. देह खातेदार,
14.	28	3291/2	0.2403	चाही-1	0.0055	1. कमलेश पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी (बैरागी) सा. देह खातेदार 2. प्रेमदेवी पत्नि रामेश्वर हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी (बैरागी) सा. देह खातेदार 3. परमेश्वर पुत्र रामेश्वर
15.		3292/1	0.3920	चाही-2	0.1630	

क्र.स.	खाता संख्या	खसरा नंबर	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेयर में)	खातेदार का नाम
						हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी (बैरागी) सा. देह खातेदार 4. लक्ष्मण पुत्र रामेश्वर हिस्सा- 1/4 जाति- स्वामी (बैरागी) सा. देह खातेदार,
16.	370	3292/2	0.2655	चाही-2	0.0870	राजेश पुत्र रामकरणदास हिस्सा- पूर्ण जाति- स्वामी (बैरागी) देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड टोंक शाखा फागी,
17.		3293/2	0.0759	चाही-1	0.0240	
18.		3251	0.5311	जाव चाही	0.0780	
19.	369	3541/3222	0.1897	बारानी-3	0.0260	राजेश पुत्र रामकरणदास हिस्सा- पूर्ण जाति- स्वामी (बैरागी) देह खातेदार
	कुल योग				**1.6107**	

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।